भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2776

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघों से परामर्श

2776.श्री कीर्ति आजाद :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघों को पेश आ रही विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाने के लिए उनसे परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या ऐसे एमएसएमई संघों द्वारा किए गए सुझावों/उठाई गई चिंताओं पर कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : एमएसएमई के समक्ष आने वाली कठिनाइयों सहित विभिन्न मुद्दों पर एमएसएमई संघों से समय-समय पर परामर्श किया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अध्याय-II में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड में एमएसएमई संघों का प्रतिनिधित्व शामिल करने का प्रावधान है। हाल ही में, संघों सहित हितधारकों के सुझावों के आधार पर, भारत सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया।

*****